

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2018—माघ 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-07-2018-1-पांच (8).—राज्य सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक सन् 19, 2017) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-13-2017-1-पांच (25) दिनांक 22 जून, 2017 उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए [www.ewaybillgst.gov.in](http://www.ewaybillgst.gov.in) को सामान्य माल सेवाकर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है.

स्पष्टीकरण.—

- (1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिस का प्रबंध कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया है; और
- (2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए [www.ewaybillgst.gov.in](http://www.ewaybillgst.gov.in) से ऐसी वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका प्रबंध भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया है.
- (2) यह अधिसूचना 16 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-07-2018-1-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-07-2018-1-पांच (8), दिनांक 23 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2018

No. F. A-3-07-2018-1-V-(8).—In exercise of the powers conferred by Section 146 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of this department's notification No. F-A-3-13-2017-1-FIVE (25), dated the 22nd June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government hereby notifies [www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in) as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and [www.ewaybillgst.gov.in](http://www.ewaybillgst.gov.in) as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for furnishing electronic way bill.

*Explanation.—*

- (1) For the purposes of this notification, “[www.gst.gov.in](http://www.gst.gov.in)” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of Section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
  - (2) For the purposes of this notification, “[www.ewaybillgst.gov.in](http://www.ewaybillgst.gov.in)” means the website managed by the National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.